Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–पुष्कर का रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) 36 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रघुवीर सिंह भाटी, रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–पुष्कर, जिला अजमेर को परिवादी से 36 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज करवाये गये राजस्व वाद में स्टे दिलवाने की एवज में रघुवीर सिंह भाटी, रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–पुष्कर, जिला अजमेर द्वारा आर.ए.एस. सुखाराम एस.डी.एम.–पुष्कर के लिये 50 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये रघुवीर सिंह भाटी पुत्र श्री नाथू सिंह भाटी निवासी 15ए, न्यू गीता कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर हाल रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–पुष्कर, जिला अजमेर को परिवादी से **36 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।